

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — प्रमोद बिड़िया

बनाम

वाद सं० 94 / 2023

द्वितीय पक्ष — कलेश्वर भोगता बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 35 / 2023 दिनांक 29 / 11 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) प्रमोद बिड़िया उम्र 32 वर्ष पिता स्व० जीतु बिड़िया, (2) सुखदेव बिड़िया उम्र 30 वर्ष पिता स्व० जीतु बिड़िया (3) बीना देवी उम्र 23 वर्ष पति सुखदेव बिड़िया (4) बिपैत देवी पति स्व० जीतु बिड़िया सभी ग्राम बाटालोया, बसिया, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) कलेश्वर भोगता उम्र 45 वर्ष पिता खुईरा भोगता (2) सनोज भोगता उम्र 18 वर्ष पिता नारायण भोगता (3) बैजु भोगता उम्र 47 वर्ष पिता खुईरा भोगता (4) नारायण भोगता उम्र 50 वर्ष पिता खुईरा भोगता (5) बिपतु भोगता उम्र 55 वर्ष पिता स्व० राम भोगता (6) कमला देवी उम्र 45 वर्ष पति बैजु भोगता (7) कामता देवी उम्र 47 वर्ष पति नारायण भोगता (8) भेनुका भोगता उम्र 20 वर्ष पिता नारायण भोगता (9) मनिष भोगता उम्र 19 वर्ष पिता बैजु भोगता सभी ग्राम बाटालोया, थाना बसिया जिला गुमला के बीच आम रास्ता को लेकर वाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	